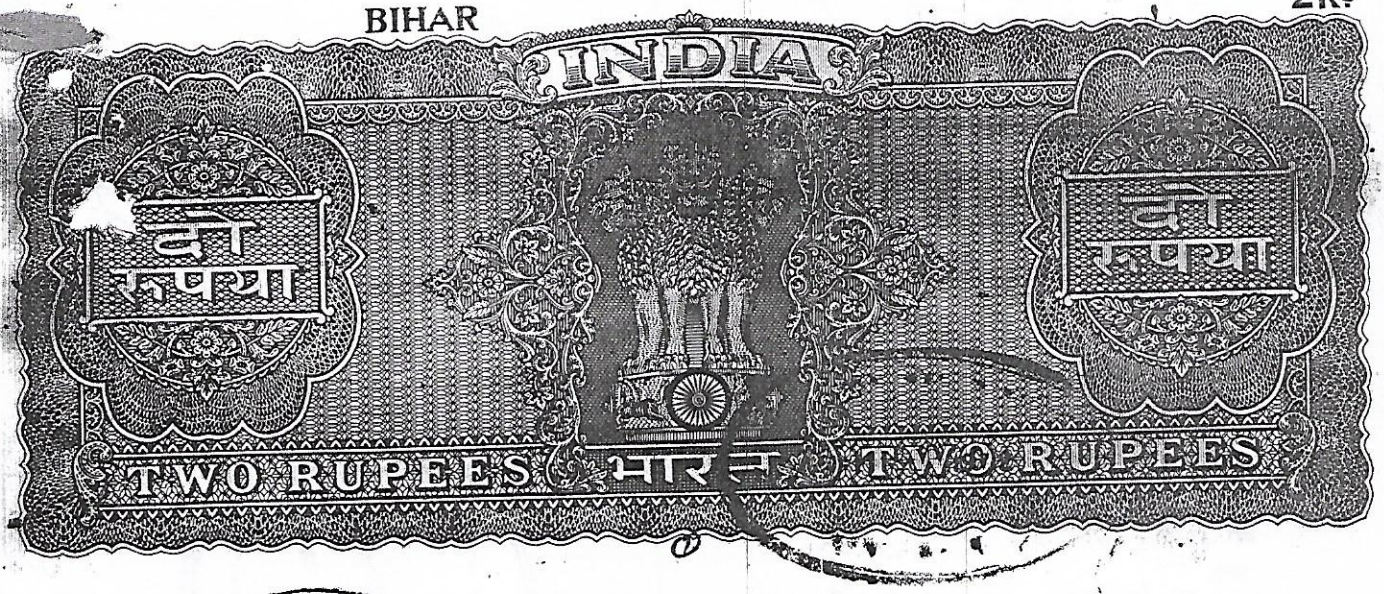

BIHAR 2 RS

INDIA

दो रुपया

TWO RUPEES भारत TWO RUPEES

[illegible]

(निबन्धक [illegible]) देवघर

22/7/62

Mutation in respect of share of Sri Saroji fed sale is allowed vide case no. 124/75-76 and 125/75-76

AA 28/11/75

Anchal Adhikari Deoghar (S. P.)

न. ४१३ ÷

÷ बटवारा नामा ÷

१ ÷ दलील कर्तिओ का नाम तथा विवरण ÷

(१) मोसमात गौरी देवी स्वामी स्वर्गीय शिव प्रसाद साह
(२) श्री मति राजमणि देवी S पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद साह
(३) श्री मति कमला देवी S

जाति वैश्य पेशा गृहस्थकारी तथा व्यवसाय निवासी देवघर नगर थाना, सब डिविजन वो सब रजिस्ट्री देवघर, जिला संथाल परगना ÷२÷ जिन्हे इस दलील मे प्रथम पक्ष कह कर सम्बोधित किया गया है।

(१) श्री राम प्रसाद साह पिता स्वर्गीय गनपत राम (२) श्री भोला प्रसाद साह पिता श्री राम प्रसाद साह आदि निवासी देवघर नगर जाति वैश्य पेशा व्यवसाय थाना, सब डिविजन वो सब रजिस्ट्री देवघर जिला संथाल परगना जिन्हे इस दलील मे द्वितीय पक्ष कह कर सम्बोधित किया गया है। एवं

[illegible]

1C 21 - 22 —
1C 40 20-40
240.

[illegible]

[illegible] 240
[illegible] (i) शुल्क 240
[illegible]
[illegible]

[illegible]

आदेश [illegible] दि: [illegible]
अनु[illegible]
हस्ताक्षर किया [illegible]
दे दी गयी।

सच्ची प्रतिलिपि

[illegible]

वास्ते जिला [illegible]

[illegible]
20-1-22

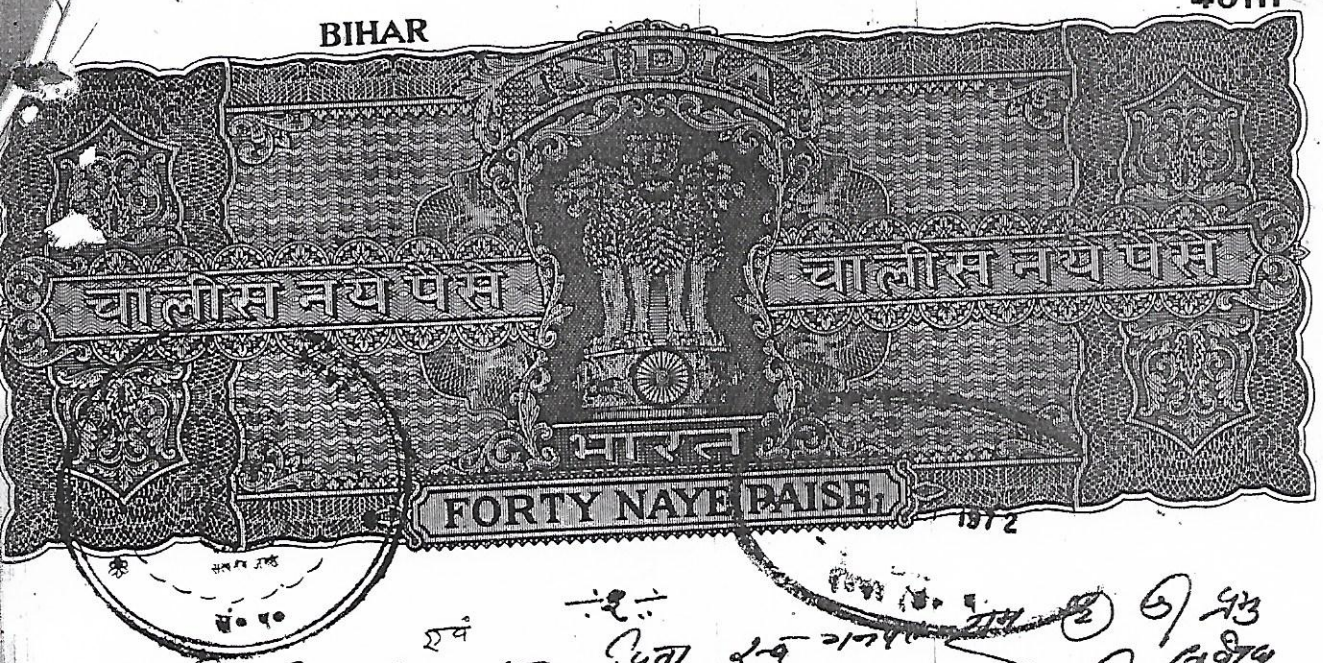

BIHAR 40nP

INDIA

चालीस नये पैसे चालीस नये पैसे

भारत

FORTY NAYE PAISE 1972

-:२:-

एवं

(१) श्री- हरि प्रसाद साह पिता स्व० गनपत राम (२) श्री प्रभु

विनोद प्रसाद साह (४) श्री उपेन्द्र

अरविन्द प्रसाद साह (३) श्री वीरेन्द्र प्रसाद साह नाबालिग

प्रसाद साह नाबालिग (५) श्री ... नाबालिगान तरफ पिता तथा

पिता प्रभु हरि प्रसाद साह। (६) श्री [illegible] कुमार साह

वालिदैन प्रभु हरि प्रसाद साह। नाबालिग -:४:-

नाबालिग (६) श्री रवि शंकर साह, नाबालिग पिता श्री प्रभु प्रसाद

(७) श्री- अरुण कुमार साह नाबालिग पिता व वली वालिदैन श्री प्रभु प्रसाद

साह नाबालिग तरफ

साह जाति वैश्य पेशा व्यापार, निवासी - देवघर नगर, सन्थाल

सब डिविजन व थाना रजिस्ट्री देवघर, जिला सन्थाल परगना

परगना जिन सभी को इस दलील में तृतीय पक्ष कह

कर सम्बोधित किया गया है। -:५:-

-:४:- (१)

(गनपत) राम (२)

। (१) श्री- सरयु प्रसाद साह पिता स्व० गोपी (गनपत) राम (४) श्री

श्री- ओम प्रकाश साह (३) श्री- अमित प्रसाद साह

सुनील प्रसाद साह नाबालिग पिता श्री सरयु प्रसाद साह

नाबालिग मारफत पिता व वली वालिदैन श्री सरयु प्रसाद

साह जाति वैश्य पेशा व्यवसाय, निवासी - देवघर नगर, जिला सन्थाल

थाना सब डिविजन व सब रजिस्ट्री - देवघर, जिला सन्थाल परगना में चतुर्थ पक्ष कह कर

परगना जिन सभों को इस दलील में चतुर्थ पक्ष कह कर एवं

सम्बोधित किया गया है। -:६:-

जोजे स्व० गनपत राम, जाति

श्रीमती राम दुलारी देवी ... जोजे स्वर्गीय गनपत राम, जाति

वैश्य पेशा गृहस्थी, निवासी देवघर नगर, जिला सन्थाल परगना

वैश्य ... रजिस्ट्री देवघर, जिला ...

जिन्हें इस दलील में पंचम पक्ष कह कर सम्बोधित किया गया है।

2-: दलील जिसके हित में सम्पादित की जाती है उनका नाम तथा पता

(2) लेख्य प्रकार -

3-: उपरोक्त सभी पक्ष के दलील कर्तागण, बटवारा नामा (deed of partition) -:6:-

11 SEP 1972

4-: आम तौर का विवरण बगीचा ... की व तफसील में वर्णित सम्पत्ति।

5. दलील सम्पादन की तिथि -: तारीख 17 माह जनवरी, ई: सन एक हजार नौ सौ बहत्तर।

6. दलील की भूमिका -: उपरोक्त सभी पक्ष के सदस्य एक ही परिवार के हैं और स्वर्गीय बाबू गनपत राम के वंशज हैं। प्रथम पक्ष न० 1 के स्वामी व न० 2 व 3 के पिता अधुनामृत बाबू शिव प्रसाद साह, तथा द्वितीय पक्ष के राम प्रसाद साह आपके भाई हैं तथा बाबू गनपत राम की प्रथम विवाहिता स्त्री के गर्भ की सन्तान हैं। आपकी प्रथम स्त्री के स्वर्गवास के पश्चात बाबू -:-:- गनपत राम ने मोसम्मात राम दुलारी कुँवर से दूसरी शादी की जो इस दलील के पंचम पक्ष हैं, इनके गर्भ से भी दो पुत्र श्री प्रसाद साह तथा साधु प्रसाद साह, जो (2) उपरोक्त वर्णित दलील कर्ताओं में तृतीय तथा (चतुर्थ) पक्ष के सदस्य हैं, चारों लड़के हुए। बाबू गनपत राम आपके उपरोक्त परिवार के साथ एक देहाती हिन्दू मिताक्षरा परिवार के प्रधान कर्ता व सदस्य थे। जिस परिवार का व्यवसाय ... गनपत राम के नाम से चलता जो सिर्फ साह गनपत राम तथा देहात व्यापार की पूंजी से आते तथा ... -:- था तथा अर्जित इस संयुक्त आमदनी से हर तरह के व्यापार तथा व्यवसाय संयुक्त परिवार को चल तथा अचल में ख्याति प्राप्त हुई और उपरोक्त परिवार की हालत सम्पत्तियाँ भी प्राप्त हुई। इस संयुक्त ... स्वर्गवास 1936 ई० में बाबू गनपत राम जी का ...

अपने उपरान्त चारों पुत्र तथा अपनी द्वितीय पत्नी
श्रीमती राम दुलारी [illegible] को छोड़कर हुआ। बाद
गणपत सिंह की मृत्यु के बाद भी उनके उपरोक्त
चारों पुत्र मिलाकर संयुक्त परिवार की अवस्था में ही
काफी वर्षों तक यानि आज से १५ (पन्द्रह) वर्ष पूर्व
तक रहे। उस समय भी इस संयुक्त परिवार के

-१०-

[illegible] उनके सम्पत्तियाँ भी अपने
व्यापार तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के नाम
अंशांकित [illegible] परिवार के कुछ व्यक्तियों के नाम हैं।
[illegible] खरीद किये जिनका ब्योरा नीचे लिखे में है।
[illegible] बाद में आपसी मन मुटाव बढ़ता गया और
उनके कुछ नजदीकी व्यक्तियों की मदद से आपसी
बंटवारा का प्रयास, और आज से करीब १५ वर्ष
पूर्व ही से चल रहा था निष्फल हुआ और
केवल चल सम्पत्तियों का आपसी बंटवारा किया
गया पर [illegible] उपरोक्त चारों भाइयों में
[illegible] अपने बाल बच्चों के साथ
[illegible] अलग खाना पीना रहना तथा लेन देन
अलग [illegible] व्यापार को चलाने
लगे। संयुक्त परिवार के [illegible] एक भाई परिवार के
सुविधा के लिये हर एक भाई परिवार के
किसी एक या अधिक व्यवसाय

-११-

व्यवसाय का देख भाल करने लगे। पर संयुक्त व्यापार
का तथा अचल सम्पत्तियों की [illegible] प्रबन्ध
से लगातार चलती रही है एक शाखा की [illegible]
[illegible] यानि चार आना हिस्सा है। आज तक
ऐसा अचल बंटवारा नहीं हो सका था। यद्यपि तभी
से यानि आज १५ वर्ष से हर पक्ष के सदस्य
एक तरह से दूसरे पक्ष के [illegible] हैं,
और तभी से इजमाल सम्पत्तियों की वह [illegible] और
विवाद से बंटवारे का प्रयास चल रहा था। कारणवश

सम्पत्तियों की मदद से जो परिवार के [illegible] पक्षों के मध्य
परिवार के हितैषियों में भी है तथा सब पक्षों [illegible] आपसी बंटवारा किन्तु
महसूस करते थे कि हिस्सा मुताबिक [illegible] हो रहा था तथा
से नहीं करने पर सभी की खुशहाली की आशंका थी, अतः स्वेच्छा से
भविष्य में भी खुशहाल की [illegible] और आपस
तथा बिना किसी के दबाव या प्रभाव [illegible]
की रजामन्द से उपरोक्त प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष तृतीय
पक्ष तथा चतुर्थ पक्ष के सदस्यों ने अपने अपने
पक्ष के कानून हिस्सा मुताबिक जो १/४ भाग
है अपने सब इजमाल सम्पत्तियों का निम्नांकित
[illegible] बंटवारा कर लिया और बंटवारा के मुताबिक
अपने अपने हिस्से में प्राप्त सम्पत्तियों तथा व्यवसाय
पर अलग अलग

÷ १२ ÷

दखल कब्जा प्राप्त कर लिये। इस इजमाल (खानदानी)
[illegible] अथवा [illegible] सम्पत्ति से उपरोक्त प्रथम पक्ष मोसम्मात राम दुलारी
[illegible] के मुताबिक
[illegible] अपने परिवारिक रीति रिवाज के मुताबिक भरण पोषण का
[illegible] सम्पूर्ण परिवार की सम्पत्ति से
[illegible] है तथा बाबू गणपत राम जी के सभी जायज
[illegible] का यह [illegible] नैतिक दायित्व एवं कानूनी दायित्व
[illegible] सभी पक्ष कबूल करते हैं [illegible]
[illegible] इजमाल सम्पत्तियों का आपसी बंटवारा हो रहा।
[illegible] अपने अपने हिस्से में प्राप्त
है और हर तरह से [illegible] तथा दखलकार हो रहे हैं तो माँ
[illegible] का पूर्ण [illegible] तथा [illegible] के भरण पोषण के लिये
(मोसम्मात राम दुलारी [illegible]) के भरण पोषण के लिये
भी इस दलील में यह इन्तजाम किया गया है कि माँ
को कम से कम ६००) [illegible] नगद [illegible]
भरण पोषण के लिये उनकी जिन्दगी भर मिले और
[illegible] लिये यह भार हर पक्ष के [illegible] पर
[illegible] गया है। ऐसा कि इस दलील में आगे जिक्र
गया है। [illegible] भरण पोषण की रकम यदि ऐसे [illegible]
[illegible] करने के [illegible] करें तो [illegible]

खास खास सम्पत्ति से उनके बाद खुराकी की रकम की वसूली के लिये बाध्य (चार्ज) कर दिया गया है और जाहिरा तफसीलवार वर्णन भी इस वसीयत के नीचे दिया गया है और (इन) सब शर्तों से पक्षं पहल खुशी से सहमत है। इस लिये वे भी इस वसीयत को सम्पादन कर रही है। जो निम्नांकित रूप में की जाती है जो सब पक्षों को मान्य है।

बटवारे की तफसील (तालिका)

क. तफसील गौरी देवी वगैरह के कब्जे में प्राप्त सम्पत्तियों

तालुका पहला हिस्सा :-

SEP 19

उक्त मालिक कीमत मो० ७५,०००) पचहत्तर हजार रुपया

(१) थाना नं. ६१२ जिला २४ परगना (उत्तर) सब रजिस्ट्री कचहरी रोड, कौसौड़ी, शामिल बलदेव (मुरारी) डाक की जमीन रकबा करीब ५ बीघा के ऊपर बना मकानादि अन्दर तालुका देवघर श्यामगंज के ऊपर अन्दर ०-२६ ...

इसका देवघर ... -१५- हो० नं. ४ होल्डिंग नम्बर ६२ (पुराना) म्युनिसिपैलिटी वार्ड नं. ४ ... गनपत राम के ... देवघर ... (नया) जो रामचन्द्र साहू गनपत राम ... शामिल खुदा नम्बर नं. १ १०१ ... से मशहूर है उसके अन्दर शामिल एक दुकान था ... तथा २ ... मकान नं. १ ... कुल ... जिसकी चौहद्दी ... पश्चिम ... छावड़िया वगैरह एक गली ... सीता राम छावड़िया ... वगैरह का मकान।

दक्षिण - शामिल आधा नम्बर का ... नं. ४ ... का जमीन व मकान, साहू महावीर प्रसाद का जमीन व ... का जमीन व ...

पूरब :- ... साहू ... का जमीन ... जिसमें ... से मिला है।

... जमीन ... पश्चिम ... कीमत मो० २५,०००) पच्चीस हजार रुपया मात्र।

उक्त मालिक ... सब रजिस्ट्री ... देवघर

(२) थाना नं. ६१४ जिला २४ परगना, शामिल ... देवघर ... व सब रजिस्ट्री व थाना ... की जमीन रकबा ... के ऊपर ... १२ ... ऊपर ... म्युनिसिपैलिटी वार्ड नं.

नाम (सर्व) म्युनिसिपल टैक्स २७ से २८ पैसे मय कुल ६३
६३३ जिसकी चौहद्दि
वर्तमान में नीलमणी मा पण्डा।
उत्तर ÷ पुराना पक्का वर्तमान में [illegible] कुमारी देवी का
दक्षिण ÷ महादेव पण्डा की गली व [illegible] का मकान
मकान वर्तमान में श्री दामोदर शास्त्री का मकान
पूरब ÷ राम त्रिभुवन मारवाड़ी का मकान
पश्चिम ÷ कुञ्ज बिहारी लाल।
उक्त मालिक कीमत मो० ९५,०००) रूपये मात्र।
[illegible] [illegible]
② आना नं. ४९४ जिला [illegible] परगना [illegible] देवघर के अन्दर
[illegible] की आना [illegible] शामिल [illegible] देवघर [illegible] मय
[illegible] की जमीन [illegible] अन्दाजी [illegible] मय
[illegible] साथ की जमीन [illegible] उत्तर [illegible] देवघर [illegible] मालिका
[illegible] पक्का मकानादि उत्तर [illegible] कुल ६३
[illegible] होल्डिंग नं. ६४ (पुराना) ६८ (नया)
६३३ जिसकी चौहद्दि दक्षिण – [illegible]
उत्तर – महादेव पण्डा की गली। पश्चिम – महादेव पण्डा का मकान। पश्चिम ÷
का मकान पूरब ÷ [illegible] बिहारी लाल।
उक्त मालिक कीमत मो० ६,०००) रूपये मात्र।
[illegible] [illegible]
③ आना नं. ४९४ जिला [illegible] परगना [illegible] देवघर के अन्दर
[illegible] रजिस्ट्री देवघर, शामिल [illegible] की जमीन
[illegible] बाजार के उत्तर [illegible] उत्तर [illegible]
[illegible] पक्का मकानादि [illegible]
[illegible] १० [illegible] मय [illegible] नं. २ [illegible] नम्बर २९८ [illegible]
देवघर म्युनिसिपैलिटी वार्ड नं. २ है। जिसकी चौहद्दि उत्तर ÷
दुकान के नाम से मशहूर है [illegible] का मकान।
[illegible] की दुकान। पूरब ÷ [illegible]
दक्षिण ÷ [illegible] शिवालय [illegible] बाजार रोड।
का मकान। पश्चिम – [illegible] रूपये मात्र।
उक्त मालिक कीमत मो० ४,०००) रूपये [illegible]
④ आना नम्बर ५८२ जिला [illegible] परगना [illegible] देवघर [illegible]
[illegible] रजिस्ट्री व आना – देवघर [illegible]
[illegible] के [illegible] मौजा [illegible] के उत्तर [illegible]
[illegible] शामिल [illegible] २४ [illegible] मय [illegible]
[illegible] की जमीन [illegible] उत्तर [illegible] देवघर [illegible] मालिका
[illegible] मकानादि [illegible] पुराना
[illegible] ३ [illegible] नं. १० [illegible] ११. जमाबन्दी नं. (६६) [illegible]

३१) (का ५ देसा (र देसा न- ११ का ४३) रकबा ३१ देसा, जलामीशर मिल जुमले महेश शामिल हुआ नक्शा न. २ मे पीला -१८-

मे पीला रंग से -- चिन्हित करा नम्बर हुए हदूद जिसकी चौहद्दि

उत्तर - उनका रोड जिसे आराम ... रोड कहते हैं।

दक्षिण - ... का जमीन और मकान।

पूरब - त्रिलोक चन्द्र ... का मील।

पश्चिम - ऐसी ... का ... जो ... और शामिल ... के हिस्सा मे मिला है और ... मे चिन्हित करा।

(१) दा नक्शा न. २

11 SEP 1972

(३) मालियत कीमत ५२,०००) रु. ...

(४) नक्शा न. ६३८ जिला सुलतान ... मौजा ... नीचे शामिल ... रजिस्ट्री ... मकान ... मौजा (अंका) के अन्दर ... आदि मौजिव शामिल शुदा हुआ को (मौजुदा) हुआ ... लाल रंग मे ... नक्शा न. ५ मे खात न. ... जमीन खात न. रकबा ० - ... जमीन शामिल ... मे दर्ज है।

खात न.	किस्म जमीन	रकबा
		ए. डि.
	बाली ओयल	० - २२
२३८	,,	२ . २४ (...)
५५५/१	बाली दोयम	२ - ४ (...)
५१८		

-१९-

खात न.	किस्म जमीन	रकबा
		ए. डि.
६४० (१०) (६६०)	बाली दोयम	१ . २४
४४३	बाली सोम	१ - ११
(११) (~~६६३~~) ४६८	,, ,,	० - ४४
(१२) (~~६६८~~) ४६८	,, ,,	३ - १२
(१३) (~~६६१~~)	,, ,,	० - ०६
१०१६/१	,, ,,	१ - ००. १ मौजा
		शामिल नक्शा न. २. का
		१३ - चिन्हित करा
६. २१	बाजे ओयल	० - ४६
६. ४१/१	बाजे दोयम	१ - (...) ... जमीन

२०६
६२९
(१२) ६२७ | ए-   बाडी दोयम   ६ – ६५
                ,,   ,,   १. ३४ (एक एकड़ चौंतीस डि.)

मिजर्टी आराजि. ७२८ खेसरा नं. ६२६ खाता नं. ७६० बावत खेसरा नं. ६६०, दाग ... पश्चिम खाता नं. उत्पाद स्वाद ... ६२६ एवं ६२८)

11 SEP 1972

२० :

६०५
४८४
(१४) ४६८ /   बाडी दोयम   – ०. ३०
                ,,   ,,   ०. २६
                                   २६ – १६

मौजा ... नं. ६४८ दरवारी मदना की जमीन ... का खाता नं. १ ... खरीद किया हुआ ... एकड़ डि.

खाता नं.   किस्म जमीन
१७६
(१५) ... /   बाडी दोयम   ०. ८०
                ,,   ,,   ० ६५ पाँच दशमलव ...
२२६/१/-   ,,   ,,

कुल रकबा २६ एकड़ ६२ डिसमिल जिसमें उक्त मौजा है उक्त मालिक कीमत मो० २५,०००) रु० जिसमें मकान वगैरह तृतीय दिवस बराबर करके के लिये ... रु० दिये। ... को खास ... नगद ५०००)
२५०००) रु०
बाद ५०००) रु०
कुल २०,०००) रु०

— : २१ —

१ व. तफसील :- पर राम उत्पाद स्वाद तथा उनके लड़के हैं द्वितीय पक्ष के लिये गये सम्पत्तियों का ... विवरण
जिसकी कीमत मो० १०३०००) रुपया मात्र। उक्त मालिक कीमत ... तीन हजार रुपया मात्र) (एक लाख तीन हजार ...) ... परगना ... थाना नं. २६६ जिला ... थाना मधुपुर ...
(१) ... रजिस्ट्री ... थाना मधुपुर ... की जमीन रकबा २ एकड़ ... के अन्दर ... मकानादि अन्दर मधुपुर ... कतवा ... वार्ड नं. १ होल्डिंग नम्बर ... १२ मधुपुर नगर पालिका ... १२ कतवा ... मौजा ... २ ... कुल १९ ४६, खाता ... पालिका ...

का मकान

उत्तर ÷ गाजा नंद तेकरी वालों का मकान
दक्षिण ÷ एच. सी. कुरेशी रोड।
पश्चिम ÷ मथुरा प्रसाद के देवनारायण कुंड का मकान
पूरब ÷ गली व गिरजाघर।

उक्त मालिक कीमत मो० ३२,०००) हजार रुपया मात्र।

⑦ खाता नम्बर ४१३ जिला सीतापुर परगना सदर

÷ १२ ÷

तहसील व नगर सीतापुर देवनगर खाता देवनगर
एवं तहसील मौजा पूरब देवनगर उपाध्याय के अन्दर
लाउस रोड़ियो कालोनी लखनऊ देवनगर २-१३६ स्थित भूमि
जिसमें जमीन रकबा ०-२३६ बिस्वा पूरब नम्बर ६०
मकानादि पेट्रोल पम्प के पास कब्जा एवं
नगर पालिका वार्ड नं. ६ मोहल्ला नं. ३ के प्लाट नं. ३
शामिल इसमें नक्शा नं० ३ नगर पालिका
चिन्हित करते हुये ६४ ६३४ नगर पालिका योग नं. ३०२४
वार्ड नं. ६ सिलसिलेवार प्लाट नं. ६४८ योग नं. ३०२४ तालाब के जमीन
का प्लाट नं. ६४३ जिसकी चौहद्दि
५-८० के ३.० का प्लाट नं. २ जो तृतीय पक्ष
को नक्शा नं. ३ दिया गया है। नक्शा नं. ३
उत्तर ÷ हिस्सा में जमीन व-६४ नक्शा नं. ३
के हिस्से में [illegible]
दक्षिण। गाजी साहब का जमीन पक्ष
का प्लाट नं. ४ जो चतुर्थ पक्ष का जमीन
गया है। गाजी साहब व गंगा साहब का
पूरब ÷ गाजी साहब एक्सेस रोड़।
पश्चिम ÷ उपरोक्त

उक्त मालिक कीमत मो० १६,०००) रु० मात्र।

÷ १३ ÷

⑧ खाता नम्बर ४१४ जिला सीतापुर परगना, सदर तहसील,
व खाता देवनगर, कालोनी लखनऊ देवनगर के
एवं रजिस्ट्री सोतेराज साहब की जमीन रकबा
उपरोक्त एकड़ा रोड पर सोतेराज एकड़ा मकानादि
अवस्थित है कहा गया है पर पक्का वार्ड नं. २ हो०
उपरोक्त इलाका देवनगर नगर पालिका
नम्बर २०० (पुराना) - ३१३ (नया) सोतेराज नगर पालिका
तेरह से १२-६३ हुये मय कुल ६४ ६३४ जिसकी चौहद्दि।

का मकान

[illegible] के श्री उत्तरा राउ रोड।

दक्षिण : उमरा रोड वर्तमान

पूरब : बाबुजी पंडा का मकान।

पश्चिम : बाबुजी पंडा का मकान।

उक्त मालियत कीमत मो० ५,०००) रुपये मात्र

(४) खाता नं. ४९४ जिला संथाल परगना सब डिवीजन देवघर, शामिल लाउज देवघर

सब रजिस्ट्री का खाता देवघर के अन्दर बाबिराज स्थान की मौजा काउलोला के अन्दर स्थानीय नगरपालिका वार्ड नं. पहली जमीन कट्ठा धूर चार इसमें रकबा जिसकी चौहद्दी।

६ लालाराम पंडा मय ४ कट्ठा ६ धूर रकबा जिसकी चौहद्दी।

उत्तर : शिवनारायण राय का जमीन व मकान। तथा इसी प्रात का

दक्षिण : मोहन शर्मा का मकान।

ताकि के बाद जगदेव महाराज का मकान।

पूरब : काउलोला रोड

पश्चिम : चण्डी पांडे का मकान।

-२४-

11 SEP 1972

उक्त मालियत कीमत मो० ३,०००) रुपये मात्र।

(५) जिला संथाल परगना, सब डिवीजन व सब रजिस्ट्री देवघर के अन्दर शामिल मौजा जासिडीह देवघर थाना जासिडीह शामिल रजिस्ट्री नाम से २ कट्ठा जमीन स्थान की जमीन अपर जासिडीह मकानादि उत्तर जासिडीह बस्ती रजिस्ट्री पक्का मकानादि पर धूर मय उस पर होल्डिंग नं. २१ (प्लाट नं. चार धूर मय खाता नं. १ होल्डिंग नं. २१ (प्लाट नं.

नोट काउंड एरिया बाई ४६/३६०२ (रकबा ६-२१ तक जमाबन्दी नं. ४६ ६९ ६ कट्ठा जिसकी चौहद्दी

२-२० मय ४ कट्ठा ६९ धूर, जिसकी चौहद्दी मोतीलाल केजरीवाल

उत्तर - जानकी भवन। दक्षिण : मोतीलाल केजरीवाल

पूरब : रैईया धर्मशाला। पश्चिम रास्ता।

वो गली।

उक्त मालियत कीमत मो० १०,०००) रुपये मात्र

(६) खाता नम्बर ६३२ जिला संथाल परगना, सब डिवीजन शामिल मौजा बड़ा सब रजिस्ट्री देवघर थाना मोहनपुर, शामिल मौजा बड़ा के अन्दर पक्का मकान वो बाड़ी मय कुआं और

मौजूदा वृक्षादि जमीन रकबा नं. ५ का १ नम्बर एक [illegible] २० डिसमिल कुल रकबा ०-२० डिसमिल जमीन प्रात कतिपय रुपं से उसको अंश, केवल

की जोत जमीन द्वितीय पक्ष के हिस्से में दिया

ल नं.	किस्म जमीन	रकबा
		ए० ड०
	पानी उपजाऊ	२-१८
६६२	" "	१-१५
१०२२	" "	०-२
६२६/१०६२	" "	०-५३
३६६	" "	०-६८
४३८	पानी दोयम	०-६
१०२४	~~पानी दोयम~~	०-२५
६४०	" "	०-२
६४५	" "	१-६५
३६८	" "	१-१०
४४०	पानी सोयम	४-८८
३६६/२	" "	उज [illegible]
६१०	" "	०-२६
६२२	"	०-२०
६४६		०-१६

11 SEP 1972

... नियंत्रक ...

-२६-

खसरा नं.	किस्म जमीन	रकबा
		रकबा ए० ड०
६६३	पानी सोयम	०-१५
(१८) (६६६)	" "	०-२२
६६२	" "	०-३०
१०१६/बी-	पानी दोयम	१-० १मो.जीप प्राकिल
६८४	" "	नक्शा न.६ का हुआ न.बी. ०-४३
६५०	" "	३-१०
३६६	" "	३-४१
६८६/बी-		२-४१ ३० लौटा
		न. २०८ का नाल न. ६६१
		श- ६६२ मु. नाला न. ६६२
		गा- ६६३ मु. किस्मा गांव (भी)
		देवी यो. १-५५ (बगान [illegible]) आम मय दरख्त है
६४६	" "	
		१६-३८

÷ १३ ÷

मौजा चितुराव खेड़ नं. ६४८ सरकारी सड़कों की जमीन इभलोग
चारों मार्गों में खेतीहर, कुल इमत का जोत नं. १

१८६ काली दोमट ०-५६ पश्चिम तरफ
२२६/८ " बनी दोमट १-०५ पश्चिम तरफ
२३१ " ०.४० [illegible]

कुल रकबा २२.४२

11 SEP 1972

÷ २६ ÷

आज मालिक [illegible] २५,०००) रु. सिर्फ ६५ मौजा के अन्दर
हिस्सा बराबर है सिर्फ २०००) रु. [illegible]
[illegible] और [illegible] नगद दिया।

२०,०००) रु.

(6) [illegible] नं. २०१ [illegible]
[illegible] मकान [illegible]
[illegible] मौजा [illegible] मध्यम [illegible]
[illegible] की जमीन [illegible]
अन्दर [illegible] नं. ३२२ वार्ड नं. २ [illegible]
[illegible] नं. १६५ [illegible] २-३१ [illegible] पर [illegible] ४८-१२ [illegible]
सब कुल [illegible] नगर पालिका कर [illegible]

जिसकी चौहद्दि
[illegible] तरफ नाली और [illegible]
मकान [illegible] : नाली और [illegible]
पंच मंदिर रोड · पश्चिम : [illegible]

जमीन और तालाब
आज मालिक कीमत मो० १२५,०००) रु. मात्र
[illegible] देशी शराब की दुकान जिसका
[illegible] शहर में देशी शराब की दुकान [illegible] के नाम से
लाइसेन्स [illegible]
है सब कुल [illegible]
आज मालिक कीमत मो. १०००) रु.।

— ४८ —

नं. (१) तफसील
[illegible] [illegible] [illegible] उनके
[illegible] सम्पत्तियों का
[illegible] और पोतों के [illegible]
पूर्णी विवरण
[illegible] मो० १३०,५००) रु. मात्र [illegible]

(१) भाग नं. ४१३ जिला सवाल दुगला, रुद्र सिविल वा रजिस्ट्री में भाग दफ्तर लाउड सौहनी सोनिल लाउड दफ्तर इलाहाबाद के डिवार अमोलीबाग की जमीन
रकवा ०.६ बिस्मील मय बरगद इमारत नामक
रुद्र नक्शा मकान नमोजिल सोनिल नम्बर नं. ३ का
लोव नक्शा मकान वमोजिव सोनिल नम्बर पालिका नं.
प्लाट नं. १ उत्तर दक्षिण दफ्तर नगर पालिका नकैल ३२४-२४
नं. ६ हीरीग नं. ६० नगर पालिका सोहिल मिल मुमले
मय ४०८ ६४ ६४३ खिल्ली चौहद्दी मिल मुमले
प्लाट नं. ६४८ व भाग नं. ३०२४ व प्लाट नं. ६४३
भाग नं. ३०२४ भाग नं. ३०२४ लालता खजाना कुमार ६-२० वीधे

उत्तर :- शाही कुमार राम गौड़
पश्चिम :- प्रदीप पक्ष के किराये का धुली जमीन
[illegible] बिस्मील नक्शा नं० ३ का प्लाट २ चिन्हित
जो
नाश :- लाउड लाल प्लाट नं. ६४६ व ६४७ भाग नं.
ड्राप :- गंगा रोड का धुली जमीन है।
३०२२ [illegible] गंगा रोड जो दलाईमल के कब्जा।
- उत्तराम एक्सप्रेस रोड जो
नाम से परिचित है।

-: २ :-

[illegible] कीमत मो० ५०,००० लाख जो भी कोई कर्ज लगाया गया, बाजे रहे
है उनको बाद कोई लगाया गया। उन दो का
कि उस सम्पत्ति पर जो भी देने है उन सिवाय उसम
खपत करके व दी जाए रोड को कपोर्ट महाजनों की जितनी
की सम्पत्ति दी गई है और इसके अतिरिक्त
भी देते हैं रुपये देंगे और कोई भी व दी जाए
रजमानी रोड की रकम अर्थ देंगे भी व दी गई
[illegible] दी जाए करके दुसरे भाषिकों के देख कर्जे से
[illegible] सरकार नहीं है और न भविष्य में रहेगा।
(३) भाग नं. ४१३ जिला सवाल दुगला, रुद्र उत्तर
रुद्र रजिस्ट्री व भाग दफ्तर, सोनिल लाउड दफ्तर
इलाहाबाद के अन्दर अमोली बाग की धुली जमीन स्थित
१३ (उठ) बिस्मोबार धुली मिल जुमले भाग नं. ३०२४,

जिसकी चौहद्दि:
चिह्नित मय कुल ६६.६३३ ... के हिस्से का नम्बर नं. ३ का बाकी
उत्तर : तृतीय पक्ष के हिस्से की सम्पत्ति।
नं. १ दक्षिण : द्वितीय पक्ष के हिस्से की जमीन।
पूरब : नगर रोड की जमीन। ... वाला
पश्चिम : आवास प्रवेश रोड जिसे ... रोड भी कहते हैं।
३/३ भाग कीमत मो० ८०००) रु० मात्र
... तिहाई का

-: ३० :-

(३) खाता नं. ५८२ जिला सन्थाल परगना ... देवघर मौजा ...
पुरन देवघर ... खेसरा ३८ डिसमिल
की जमीन में से ... नं. २ ...
मौजा ... नम्बर नं. ८ ... वार्ड नं. ३
... चिह्नित देवघर नगर पालिका ...
होल्डिंग नं. ३३३ (खाता) ३५६ (नया) नगर पालिका ...
६ - २२ ... मय कुल ६६ ६६३ जिसकी चौहद्दि
उत्तर - ... राम ... वाला का मकान व ...
दक्षिण - ... का ... गली।
पूरब : ... रोड
पश्चिम - ... नम्बर नं. ८ में ... नं. १ जो ... के हिस्से में ... पक्ष के द्वारा ...
३/३ भाग कीमत मो० १२००) रु०
... जिला सन्थाल परगना सब डिवीजन
(४) खाता नं. ४१४ जिला सन्थाल परगना तहसील देवघर मौजा ... ० - ५ डि०
... रजिस्ट्री ... जमीन ... देवघर नगर
... के ऊपर ... मकानादि ... होल्डिंग नं. १४ (खाता) १५ (नया)
मय ... कच्चा ...
पालिका वार्ड नं. ८
जिसकी चौहद्दि
उत्तर - ... मिश्र का मकान।
... गली व ... का मकान।
पश्चिम - नगर पालिका गली ...

-: ३१ :-

... का
दक्षिण - गली और ... मिश्रा की जमीन व मकान
... की जमीन व मकान

मालिक कीमत मोट ४७०७९/-

१३ मालिक कीमत ... थाना नं. ७३८ जिला ... मौजा ... खाता नं. ५ का खेसरा नं. २ ... रकबा १-२६ डि० ...

खेसरा नं.	किस्म जमीन	रकबा ए० डि०
		०-६० ...
५५६/ए	धानी अव्वल	१-६६
५५७	धानी दोयम	०-८६
५५८	धानी दोयम	०-६१
६६०	" "	१-०१ ...
३७६/बी-	धानी दोयम	१-६७
४०१	" "	०-३५
५६८	" "	१-०३
५६६	" "	

—२१—

खेसरा नं.	किस्म जमीन	रकबा ए० डि०
		१-१७
१०१४	धानी दोयम	०-१३
४११	" "	१-३६ (शामिल खसरा नं. ६ का खाता नं. ...)
१०१७/बि:	" "	१-८६ (...)
६४१/बी-	भीठ दोयम	०-३५
६५६	" "	०-४४
४३२	" "	०-८६
४३३	" "	३-४४ ...
४१५/बी-	" "	१-६६
४३४/१०७७	" "	०-८६

11 SEP 1972

२	" "	१ . १६
२६ (पांच सौ उनसठ)	" "	० - १२
६ ६२/१०२४	" "	० - ३६
	मोज कुल	२६ - ६६

मौजा [illegible] नं. ६४८ [illegible] की जमीन जो [illegible] का खाता नं. १ [illegible] के [illegible]

	काश्त [illegible]	० . २
६६.	" "	० . १४
६२		

- ३३ -

खाता नं.	[illegible] जमीन	लेखा
		० . ५
	काश्त [illegible]	० . ४
६६	" "	० . २
१६५	" "	० . १२
६२	" "	० . १२
१६४	[illegible]	१ - ०
१६३	[illegible]	० . ४२
२२६	" "	० . ६ .
१६२	" "	० . ०४
१२६		२ - १६
		२६ - ६६
		२२ - ८८

(३) [illegible] कीमत मो. १२,००० रु.
[illegible] करने के लिये मकान [illegible] मो. ८,००० रु.
[illegible] नगद [illegible] २०,००० रु.

(४) खाता नं. ४१२ [illegible] लाडनूं [illegible] के अन्दर [illegible]

जिसपर पक्का मकानादि उनपर कब्जा देखकर मजूरिकी
पुल्लिसी बाडे न० ४ (चार) हिस्सा न० ६२/१०१ जो कि लेखकनी
प्रसाद गणपत राम के गोला के नाम से मशहूर है उसके
अन्दर स्थित कुल नक्सा न० १ में प्लाट न० ४ और ५
चिन्हित करा सब हुन्न एक क्षेत्र जिसकी चौहद्दि.
उत्तर - प्रथम पक्का का मकान व जमीन जो नक्सा न० १ में प्लाट
न० १ व २ है।
दक्षिण - उतरकाम प्रदेस रोड [illegible] ४५०० मित मि
पूरब : गणेश [illegible] का जमीन
जमीन को महाल।
पश्चिम : सुमित सीवय गली कुन राम लाल गली।
उक्त मालियत कीमत मो० ४५,०००) [illegible] मात्र
(6) उक्त लाइन में राजधानी प्रसाद गणपत गोला के
नाम से कारबार व- मुदफिल लेटा महाराजगंज में
शराब की दुकान जिसकी लाइसेन्स है [illegible]
के नाम से है सब मुतफिक।
उक्त मालियत कीमत मो० २०००) रुपैया मात्र।

न० (2) नकदी
देन [illegible] कुल चुकाने के लिये [illegible]
का निम्नवत : उक्त मालियत कीमत मो० ३२,४००) रु०
मात्र बत्तीस हजार चार सौ रुपैया मात्र
(१) थाना न० २६१ जिला [illegible] [illegible]
व [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
मौजा

: २५ :

मौजा [illegible] के अन्दर [illegible] की जमीन [illegible]
१ बीघा १२ कट्ठा १० धुर जिसकी चौहद्दि
उत्तर - [illegible] का जमीन
दक्षिण : [illegible] जमीन पूरब : रोड (रास्ता)
पश्चिम : [illegible] रोड।
उक्त मालियत कीमत मो० ४०००) रु०

ः १५ ः
(२) थाना नं. २६८ जिला २४ परगना, नेव डिविजन, लाटिन मध्यपुर महल्ला
एवं रजिस्ट्री केन्द्र थाना मध्यपुर शामिल आदी सरकारी जमीन रकबा
कालोघर लाइन के अन्दर बोर्ड ... निम्नी चौहद्दि
१ बीघा १४ कट्ठा १४ धुर मध्येकु नाम शामिल
उत्तर : २३४ दक्षिण : २३४ दर्ग [illegible] मात्र।
की जमीन पश्चिम-गली।
उक्त मालिक कीमत मो० १४,०००) रु० मात्र। [illegible] रजिस्ट्री
(३) जिला परगना, नेव डिविजन [illegible] अन्दर
दाकाम, थाना बिहला सारिकल मौजा बिरती के
रकबा जमीन कट्ठा ६ छटांक शामिल खासरा नम्बर ६६४
मध्य जमीन रकबा ६ छटांक शामिल निम्नी चौहद्दि.
मकान ४-८२ केस्ट निम्नी चौहद्दि :
उत्तर : अमी चन्द्र सिंह का मकान ।
दक्षिण - खाली चन्द्र सिंह का खाली जमीन और मकान
रास्ता : खास - रोड । पश्चिम - गली।
उक्त मालिक कीमत मो० १६३,०००) रु० मात्र
(४) जिला २४ परगना नेव डिविजन की रजिस्ट्री
केन्द्र थाना जगसिंह शामिल मौजा जगसिंह के अन्दर
१ बीघा खाव की जमीन रकबा अन्दाजी ०-०३ शामिल
मध्य छीत पर पक्का कोठा मकानादि इत्यादि जगसिंह
नोटिफाइड एरिया वार्ड नं. १ होल्डिंग नं. ६०/६६ निम्नी
चौहद्दि :
उत्तर : जगसिंह देवचन्द रोड । दक्षिण : नाला । पूरब :
गली । पश्चिम - वासुदेव चन्द्र दास का मकान ।
उक्त मालिक कीमत मो० २०,०००) रु० मात्र
(५) जिला २४ परगना नेव डिविजन की रजिस्ट्री
केन्द्र थाना जगसिंह शामिल मौजा जगसिंह के अन्दर
रकबा अन्दाजी ०. ५ शामिल
खाव की जमीन अन्दर इत्यादि जगसिंह
मध्य छीत पर पक्का कोठा मकानादि
नोटिफाइड एरिया वार्ड नं. १ होल्डिंग नं. ७२/७६ निम्नी

रोड
उत्तर - अशोकसिंह वगैरह । पूर्व :- भगवद्देव चन्द्र पाल का मकान ।
दक्षिण - नाला । (उक्त मालियत कीमत मोल २०००) रु.
पश्चिम :- गली ।

(५) खाता नं. ५८२ जिला (ग्वालियर) इलाका (रेवेन्यू) लश्कर वगैरह (ग्रामीण) मौजा वगैरह
(क्रम २ जिल्द) व खाता वगैरह (आराम प्रसाद रोड पर स्थित) आवासी
मालगुजारी के ऊपर जमीन (रकबा) (साढ़े सात) सौ
वर्गफुट की जमीन वगैरह म्युनिसिपल पॉलिसी वार्ड
१६ मकान नम्बर ६०० (जिसकी चौहद्दी -
नं. ३ हवेली नं. १२२) रोड दक्षिण - नाली । पूर्व :-
उत्तर :- आराम (प्रसाद) (मकान) पश्चिम :- शीतल सिंह का मकान
छोटेलाल का (उक्त मालियत कीमत मोल २०००) रु.

(६) खाता नं. ४९४ जिला (ग्वालियर) इलाका (ग्रामीण)
(क्रम) २ जिल्द व खाता वगैरह (रकबा) अन्दाज
(१५०) फुट है ऊपर की जमीन (रकबा)
वगैरह म्युनिसिपल पॉलिसी वार्ड नं. ८ जिसकी
(चौहद्दी) उत्तर :- म्युनिसिपल
- ३ - :
पश्चिम :- आबादी
उत्तर :- भगवती नोटे का खुली जमीन पूर्व :- गली । दक्षिण
नाला (प्रवीण) का खुली जमीन (उक्त मालियत कीमत मोल
प्रथम व तृतीय पक्ष का मकान
५००) रु. । (इलाका) (रेवेन्यू)

(७) खाता नं. २६८ जिला (ग्वालियर) खाता मकान (ग्रामीण) लश्कर
व २६ (जिल्द) वगैरह स्थित मकान की जमीन (रकबा)
मकान के ऊपर स्थित मकान आधा मकान
३० (ग्रामीण) मय ऊपर पक्का मकान नगर
नगर पालिका वार्ड नं. १४/२ हाउस नं. २६/३०२ जिसकी
चौहद्दी :- उत्तर :- आशुतोष इसजी रोड । दक्षिण :- देव
(उत्तर) ८६३ का जमीन पूर्व :- शहर मार्ग का कच्चा
नाला मकान पश्चिम :- निज मकान व जमीन खे. नं. ३०३१
(रकबा) ८२ (ग्रामीण) मय

उत्तर :- आशुतोष मुखर्जी रोड। पश्चिम — [illegible] मकान नं०
की जमीन। दक्षिण — गली मकान [illegible] २०२१
— २ —
पाकुड़ :- शिव शंकर की [illegible] का [illegible] मकान।
उक्त मालिक कीमत मो० १०,०००/- [illegible]

[illegible] के कि तृतीय पक्ष के कथन में उनके वाजिब ७/४ तफसील नं (२) में वर्णित [illegible] उन सम्पत्तियों को कब्जा रखे अधिक में फिर भी उन लिये हो जाते हैं कि इसकी वजह से [illegible] से कुछ लिये हो जाते हैं [illegible] तृतीय पक्ष भी [illegible] को इस पारिवारिक देखभाल करते थे के उत्तराधिकार देखभाल व्यापार का [illegible] भी पारिवारिक कुछ देन मदाजन की अब तक में भी पारिवारिक कुछ देन रह गया है जिसे तथा आयकर, सेल्स टैक्स [illegible] पूरी जानकारी [illegible] देखभाल में देता है। देन वाले की पूरी जानकारी [illegible] जो [illegible] [illegible] है और के कर्ज लिये थे जो [illegible] की कोई भी जानकारी किसी भी पक्ष को ऐसे कर्ज और न ही उन देन को किसी [illegible] और न ही [illegible] आपसी सम्मति [illegible] स्वीकार ही करते हैं। पर [illegible] के कई उत्तराधिकार [illegible] के लिये तृतीय पक्ष के लिये ही तफसील नं (२) [illegible] ऐसे देन को चुकाने के लिये ही तफसील नं (२) [illegible] [illegible] वर्णित सम्पत्ति उस पक्ष को [illegible] [illegible] [illegible] वर्णित सम्पत्ति उनके द्वारा तथा उनके [illegible] अधिक आज तक के [illegible] [illegible] ली गयी देनदारी कर्ज तथा [illegible] के [illegible] ली गयी देनदारी कर्ज के लिये हो जाते हैं। नं (२) को अदा करने के लिये हो [illegible] [illegible] तफसील के वर्णित सम्पत्ति ही [illegible] [illegible] ली गयी देनदारी कर्ज तथा अन्य देनदारी देन [illegible] टैक्स आदि देन को चुकाने के लिये [illegible] [illegible] जरूरी [illegible] [illegible] कि ऐसे कर्ज तथा देनदारी सम्पत्ति जानी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] देन को चुकाने के लिये [illegible] [illegible] उन सम्पत्तियों का हस्तान्तरण करने [illegible] [illegible] [illegible]

का पूर्ण हक होगा। [illegible]

[illegible] पश्चिम : सड़क उत्तर कोर्ट तथा उनके बगल के किसी
[illegible] रजिस्ट्री आफिस का एक हिस्सा
उक्त मालिक कीमत मो० ८८७५००) रुपया (आठ लाख सतासी हजार
पाँच सौ रुपया)

11 SEP 1972

(२) थाना नं. ४१२ [illegible] परगना [illegible] (*)
तौजी नं. [illegible] रजिस्ट्री का थाना [illegible] [illegible] (मौजा श्यामगंज) में
[illegible] महल्ला [illegible] [illegible] [illegible] १० कट्ठा
[illegible] [illegible] [illegible] की जमीन [illegible]
उसके ऊपर [illegible] मकानादि अन्दर इसका
[illegible] पर [illegible] [illegible] नं. १६६ नगर
[illegible] नगर पालिका वार्ड नं. ४ होल्डिंग नं. [illegible]
पालिका [illegible] ३६-६० पैसा सिर्फ़ चौहद्दि.
उत्तर : [illegible] [illegible] का मकान
पश्चिम : [illegible]
दक्षिण - [illegible] पूरब : [illegible]
उक्त मालिक कीमत मो० १५०,०००) पन्द्रह हजार रु. मात्र.
[illegible] [illegible] [illegible] परगना [illegible] तौजी नं. ४१२ जिला [illegible] [illegible] [illegible] श्यामगंज
रजिस्ट्री का थाना [illegible]

-४४-

के अन्दर [illegible] रोड पर जो [illegible] [illegible]
है [illegible] [illegible] [illegible] की जमीन [illegible]
[illegible] रोड के नाम मशहूर [illegible] की जमीन [illegible] ३५ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदि उसके इसका [illegible]
[illegible] पर मकान कुआँ आदि उसके [illegible]
नगर पालिका वार्ड नं. ६ हो० नं. ११४ नगर पालिका
[illegible] २५ - २६ पैसे सिर्फ़ चौहद्दि उत्तर [illegible]
[illegible] रोड दक्षिण - नगर पालिका का पक्का नाली।
[illegible] [illegible] का [illegible] जमीन। पश्चिम [illegible]
पूरब : [illegible] [illegible] का पक्का नाली।
पालिका का पक्का नाली।
उक्त मालिक कीमत मो० १०१०००) [illegible] मात्र। (३) थाना
[illegible] [illegible] [illegible] तौजी
नं. ४१२ जिला [illegible] परगना [illegible] [illegible] [illegible]
रजिस्ट्री का थाना [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] की जमीन

मध्य के उत्तर दक्षा देकर नगर पालिका वार्ड नं० 6
मोहल्ला नगर ५८ मिनजुमले मौजा नं० २०२६ २०३४ (जमाबन्दी
तौजीन नगर ५८ मिनजुमले नगर पालिका नेवर १६-१८
६-८० वैसे १-०० रुपये नगर पालिका नक्शा नं० ३ में प्लाट नं० ४
वैसे जो शामिल इन नक्शा नं० ३ में प्लाट नं० ४
चिन्हित अर्थ ४५ फुट ६४ इन्च [illegible] चौड़ाई
और - शामिल नक्शा नं० ३ में प्लाट नं० २

-: ४३ :-

11 SEP 1972

पश्चिम - गाजी [illegible] की मकान पूरब :- गाजी सेव
का जमीन [illegible] उत्तर - आसाम एक्सेस रोड।
उक्त मालियत कीमत मो० १२,०००) रु० मात्र

(४) खाता नं० ५८२ जिसका खतियान पूरानी [illegible]
उर्फियत रुप रजिस्ट्री भी - खाता - देवघर शामिल
बिहार देवघर मौजा मोसागाढ़ी के अन्दर [illegible] साथ
की जमीन रकबा २४ डिसमिल जमाबन्दी नं० ६६
बजाप्ता मिनजुमले २०/७ में कच्चा मकानादि बाउ
नं० ३ होल्डिंग नं० १० व ११ तथा [illegible] शामिल
नक्शा नं० २ का (नगर पालिका नक्शा ४३-३२
वैसे [illegible] चिन्हित हिस्सा जिसकी चौड़ाई
और :- दक्षिण रोड (आसाम एक्सेस रोड)
पश्चिम :- [illegible] मुताबिक वाला का जमीन की मकान
शाम :- शामिल नक्शा नं० २ का - सी :- चिन्हित हिस्सा
जो प्रथम पक्ष को दिया गया है। पश्चिम - आम गली।
उक्त मालियत कीमत मो० ५०००) रु० मात्र

(५) खाता नं० ५८२ जिसका खतियान पूराना [illegible]
भी [illegible] रजिस्ट्री भी - खाता देवघर शामिल देवघर
बाउन मोसागाढ़ी

-: ४४ :-

मोसागाढ़ी के [illegible] के अन्दर पूराना [illegible] रोड पर
[illegible] साथ की जमीन रकबा ६० डिसमिल मय उस
पर मकान भी - कुआँ वगैरह अन्दर इलाका देवघर नगर

उत्तर ÷ पानी राम मुसम्मात वाला का मकान। दक्षिण ÷ गली।
पूरब ÷ तृतीय पक्ष के हिस्से का जमीन पश्चिम — [illegible]
[illegible] रोड।
उक्त मालिकाना कीमत मो० ५२,०००) रु० मात्र।
(ख) खाता नं. ४१३ जिला [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] रोहिणी [illegible] [illegible]
[illegible] के उत्तर [illegible] [illegible] की जमीन [illegible]
०-१४ [illegible] [illegible] [illegible] पक्का मकानादि [illegible]
[illegible] [illegible] मुनि [illegible] वार्ड नं० ६ होल्डिंग नं०
हलका [illegible] [illegible] गणपत राम के [illegible]
६२ जो [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
नाम से [illegible] है उसके [illegible] चिह्नित [illegible]
[illegible] १ में [illegible] नं० ३ [illegible]
[illegible] [illegible] नक्शे [illegible]

[illegible] 1972

÷ ४५ ÷
[illegible] नक्शा में ([illegible]) चतुर्थ पक्ष के हिस्से
में मिला उपर नक्शा में [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] तृतीय पक्ष के हिस्से में रहा।
[illegible] [illegible] १ तृतीय पक्ष [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नं. १ का प्लौट
[illegible] ÷ तृतीय पक्ष का जमीन [illegible] नं. १ का प्लौट
नं० ४ है। दक्षिण ÷ तृतीय पक्ष का मकान नक्शा
नं. १ का प्लौट नं. ४। पूरब ÷ तृतीय पक्ष का जमीन
नक्शा नं० १ का प्लौट नं. ४। पश्चिम ÷ मुनि [illegible]
गली का [illegible] राम [illegible] गली।
उक्त मालिकाना कीमत मो० १५,०००) रु० मात्र
(ग) खाता नं० ६३८ ([illegible]) जिला [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] खाता [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] जमीन में मौजूद
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] नं. ५ में चिह्नित प्लौट
[illegible] [illegible] [illegible] नक्शा [illegible] १-२३ [illegible]
नं० ४ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] जमीन जो (घ) तफसील में [illegible]
(घ) तफसील है।

[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ३-१२

- २५ -

खसरा नं.	किस्म जमीन	रकबा हे.
	काली ओपम	०-३६
३६६	" "	०-४०
३२७	" "	०-९४
४६५	काली दोमट	३-६६
४३६	" "	०-१२
४६४	काली दोमट	४-५६
४३६	" "	१-२३
६६१	" "	१-०६ पड़ोसी नक्शा नं. ... का खात नं. सी
१०१६/अ	काली दोमट	०-१४
१०१६	" "	२-४६
६५७	" "	६-८६ [illegible]
४१२/१	" "	१-१३ ([illegible])
६५६		२६-३६

[illegible] जमीन [illegible] ६४८ [illegible] की जमीन [illegible] खाता नं. १ [illegible]

- ४६ -

खात नं.	किस्म जमीन	रकबा हे.
	काली दोमट	०-२२
१४६/बी	" "	०-२६
१०८	काली दोमट	१-४६
२३१/१		योग कुल २८-४४

[illegible] कीमत मो० १५,०००) रु मात्र [illegible] लिये मकान [illegible] [illegible] [illegible] के लिये ५,०००) रु

२०,०००) रु मात्र ।

(२० [illegible] मे [illegible] आयत [illegible] [illegible] तथा [illegible] जल [illegible] [illegible] का [illegible] गणपत [illegible] के साथ [illegible] का कारबार [illegible]

11 SEP 1972
[illegible] नियंत्रक [illegible]

जिसका लाइसेंसदार परशु प्रसाद राय के नाम से है पर कुल रकबा
1.323 ए० उसका मालियत मो० 4007 रु० माना।

-: ४८ :-

वैसी सम्पत्तियों का विवरण जो बटवारे में किसी न किसी
हिस्सेदार के हिस्से में पड़ी है और उनलोगों की निस्बत
आमदनी पर जिन सम्पत्तियों पर प्रथम पक्ष मो० राम दुलारी
देवी का मालिक हिस्सेदारी के महीना उस्ताद का भार (चार्ज)
रहेगा और सम्पत्ति के मालिक को निश्चित जमा कि
उसकी रकम देने का जिम्मा रहा है
उत्तरदायी वह हिस्सेदारी की रकम देने का जिम्मा रहा है।

11 SEP 1973

1	2	
करीदार का नाम तथा विवरण जिनके हिस्से में सम्पत्ति दी गयी है तथा जिनके उपर जमा कुलकिस्त किये महीने मो० रामदुलारी के हिस्सेदारी की रकम के रकम में उपजा जमा देता है	उस सम्पत्ति का विवरण जिसपर प्रथम पक्ष राम दुलारी हिस्सेदारी के मालिक लोगों का देनी का भार (चार्ज) किया जाता है	हिस्सेदारी की रकम जमा जो पर एक सम्पत्ति पर भार हुआ।

प्रथम पक्ष मो० गोरी देवी ① थाना नं० 493 जिला ① नं० सम्पत्ति
वगैरह द्वितीय पक्ष ① राम समान पनना एव उपजा जो कालम 2
प्रसाद राय एव उनके ... पर एक रजिस्ट्री का नाम से रेहन लाया
परिवार। तृतीय पक्ष ① मालिक लाइसेंस देवधर गया है प्रथम पक्ष 50)1.
श्री प्रसाद राय एव उनके श्याम राजा की जायदाद द्वितीयपक्ष 2500
परिवार चतुर्थ पक्ष ① - कपोती राय की चतुर्थ पक्ष 50)1.
परशु प्रसाद राय एव जमीन खेत अराजी - 66 मोत 3450)0
उनके परिवार। जिसमें मय उस पर ① नं० सम्पत्ति
पक्का मकान नाटा जालान जो कालम 2
खाते नं० 4 प्लाट नं० 62 जो में रेहन लाया
राम धनी राय नामपत गया है
राम के लोगों के नाम से द्वितीय पक्ष मो० 50)0.
कुल मो० 4009।

सहायक निबंधक ...

१.	२.	३.
	नाम से मशहूर है उसके अन्दर खसरा नं० के प्लाट नं० २, ३ व ४ सम्मिलित हैं। (२) खाता नं० २६७ जिला सं० ४० रकबा डिसमिल व सब सीमायें देवघर थाना मधुपुर मकान एवं मंदिर के अन्दर बसोबी स्थान की जमीन व पक्का मकान आदि नगरपालिका वार्ड नं० २ हो० नं० १६५।	

८. बटवारे की शर्तें :-

11 SEP 1972

(१) उपरोक्त चारों पक्ष यानी प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष तृतीय
पक्ष तथा चतुर्थ पक्ष जो बहुत वर्ष पूर्व से ही अलग
अलग रहना तथा खाना पीना व लेनी-देनी कर रहे
हैं और जिसकी इजमाली पारिवारिक अवस्था का
(ज्वाइंट फैमिली स्टेटस) का खात्मा कब का हो चुका
था। केवल इजमाली अचल सम्पत्ति तथा व्यापार के
नाम के खण्ड-खण्ड रूप में बंटवारा के अभाव में
सम्पत्ति में शामिल था और क्रमशः ज्यों ज्यों बीते इसमें
दिक्कत का भी अन्त आ ही गया। चूंकि सब
इजमाल सम्पत्तियों का सभी अधिकारों से लोगों के
बीच हो जाना ऐसा कि ऊपर
उल्लिखित खण्ड-खण्ड बंटवारा
किया गया है। :- ५० -:

(२) उपरोक्त रूप में दिखाई गई बटवारे की तफसील
सबको मान्य है और आपसी रजामंदी तथा सब
के फायदा का ध्यान रख कर आपसी रजामंदी
से किया गया है।

(३) उपरोक्त कालम ६ में वर्णित बटवारे से -४-
तफसील में वर्णित सम्पत्ति श्री गोपी देवी तथा उनकी

- २८ -

लायक हैं वे ही लोग इन सम्पत्तियों की एक मात्र
सम्पत्ति मालिक और दखलकार होंगी। तफसील -ब- में
वर्णित सम्पत्ति श्री राम प्रसाद साह तथा उनके
पुत्र के अंश में मिला और द्वितीय पक्ष तथा
उनकी शाखा इन सम्पत्तियों का एक मात्र सम्पत्ती
मालिक तथा दखलकार हुआ। तफसील -ग- (३)
तथा -ग- (२) में वर्णित सम्पत्ति तृतीय पक्ष
श्री हरि प्रसाद साह तथा उनके पुत्र पौत्र
के अंश में मिला और वे लोग इन सम्पत्तियों
के एक मात्र सम्पत्ती मालिक और दखलकार
[illegible] ऐसा हाल है कि उपरोक्त तक के
[illegible] लिये तफसील
[illegible] पारिवारिक देन तथा लेन के लिये
में वर्णित सम्पत्ति एवं वादव [illegible]
[illegible] दोनों की भुगतान करने की
[illegible] उक्त सम्पत्ति इनसान सम्पत्ती
[illegible]

— २९ —

समझी जायेगी और इन दोनों की भुगतान करने का
सम्पत्ती भार श्री हरि प्रसाद साह एवं उनके परिवार की
रहेगा। यदि वे इन आदि जिनका
[illegible] दिया गया है तो उनकी ग़लत
[illegible] ऊपर (२) की सम्पत्ति इनसान सम्पत्ती
[illegible] (२) की सम्पत्ति का हिस्सा रह.
जायेगा। तफसील -अ- में वर्णित सम्पत्ति
[illegible] श्री सत्य प्रसाद साह तथा उनके पुत्र
को मिला तथा वे लोग अब उन सम्पत्तियों
की एक मात्र सम्पत्ती मालिक तथा दखलकार समझी
जायेंगी। (४) जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है
कि आज तक सभी पारिवारिक कर्ज तथा तकाज़ा
आदि कार्य [illegible] के भुगतान से तृतीय पक्ष
[illegible] श्री हरि प्रसाद साह और उनके परिवार को

छोड़ कर किसी अन्य पक्ष के लोगों को कोई सरोकार नहीं रहा. [illegible] ओर से भी यदि प्रतिवादी [illegible]
और तृतीय पक्ष की ओर से [illegible] पिता वा वालिद गार्जियन
वा - अपने नाबालिग बच्चे के [illegible] [illegible] प्रतिवादि
की हैसियत से तथा उनके [illegible] के पिता वा वली
[illegible] क्रम व अपने नाबालिग बच्चे [illegible] के वारिस
गार्जियन की हैसियत से तहरीर [illegible] में वह हर उनका का
सम्पत्ति को प्राप्त करने के प्रश्न में [illegible] है और मानते हैं। क्योंकि
कब्जा [illegible] कबूल करते हैं और नाबालिगों के हित में
यह इंतजाम उन लोगों के तथा नाबालिगों के हित में [illegible] सम्बन्ध में तहरीर गये
है तथा इसके पक्षों के [illegible] ऊपर लिखे गए शर्तों के मुताबिक
में शामिल सम्पत्ति पर [illegible] राजी खुशी से छोड़ दिये हैं.
अपना अंशों के दावा को

- ४४ -

(४) उपरोक्त बंटवारे के खिलाफ या कोई इसके अंश में शामिल सम्पत्ति पर अब किसी अन्य पक्ष के वारिसों का कोई दावा नहीं रहा और यदि इसके शर्त के खिलाफ कोई पक्ष दावा करे तो वह निराधार तथा गैर कानूनी समझा जायेगा और हर जगह अमान्य होगा। (५) पंचम पक्ष मो० राम दुलारी [illegible] को [illegible] सम्पत्ति में बंटवारा से अंश पाने का कानून [illegible] में भी कोई हक नहीं है और यह किसी तरह [illegible] दावा भी नहीं करते हैं [illegible] सम्पत्तियों से अपना पोषण का पूर्ण [illegible] है और प्रथम पक्ष से लगायत चतुर्थ पक्ष के [illegible] के लिए धार्मिक तथा सामाजिक बंधन के भी पालन है और ऐसा लिखे उनके प्रति पक्षों [illegible] पक्ष के भरण पोषण के लिये सब पक्षों ने मिलकर [illegible] जिम्मेदारी उनके प्राकृतिक जिन्दगी भर देने का तय निम्नांकित [illegible] किया है और यह भी [illegible] उनके मृत्यु के पश्चात [illegible]

लिए भी सबके अंशों के [illegible] सहयोग भागी। सब
पक्षों के [illegible] भाइयों (हिस्सों) के लिये मैं को निम्नांकित
रुपये अपने अगले महीने के १० तारीख के अन्दर
४ सौ रुपये दिया करेंगे। :- २३ :- रु पै

१- श्री गोपी देवी वगैरह प्रथम पक्ष		५०-००
२- श्री राम प्रसाद सिंह वगैरह द्वितीय पक्ष		५०-००
३- श्री हरि प्रसाद सिंह तथा अन्य तृतीय पक्ष		२५०-००
४- श्री सरयू प्रसाद सिंह तथा अन्य चतुर्थ पक्ष		५०-००
		४००-००

11 SEP 1972

[illegible] की रकम प्रतिमाह
[illegible] निश्चित हो कि उपरोक्त रकम का [illegible] का [illegible] प्रबंध
[illegible] होने पर ही [illegible]
पक्ष के [illegible]
में [illegible] जायगा।

(6) उपरोक्त तहसील (S0) में [illegible] सम्पत्ति जो प्रथम
पक्ष की [illegible] चतुर्थ पक्ष के अंश में [illegible] दिये
गये [illegible] के [illegible] है। यह सब सम्पत्ति प्रथम
पक्ष श्री० [illegible] कुमारी [illegible] को [illegible]
पोषण के रकम को देने के लिये [illegible] के [illegible] रहेगा
से [illegible] (चार्ज) किया जाता है और [illegible]
[illegible] यदि कोई पक्ष उपरोक्त [illegible] से [illegible]
[illegible] पोषण का रकम देने में [illegible] करे तो उनका
[illegible] उसकी [illegible] द्वारा [illegible]
[illegible] तहसील (S0) [illegible] सम्पत्ति का
[illegible] का (S0) तहसील [illegible] सम्पत्ति का
[illegible] प्रथम पक्ष [illegible] सकती है और
[illegible] यदि कोई [illegible] आपत्ति करे तो कानून में
[illegible] जायगा। :- २४ :-

(7) धारा 6 में [illegible] शर्त में [illegible] होने से
उपरोक्त तहसील (S0) में [illegible] सम्पत्ति से [illegible]
[illegible] तथा [illegible] [illegible] से [illegible]
मरण पोषण के लिए प्रथम पक्ष श्री० राम कुमारी

[illegible] भारत हेतु सम्पत्ति से जो [illegible] दखल में हैं [illegible]
के सबके [illegible] ऊपर [illegible] छापा [illegible] कर [illegible] करेंगे
और उनसे [illegible] चला जावेगी । ऐसा हालत
में [illegible] की शर्त बेकार और
[illegible] जायगी तथा मो० राम दुलारी [illegible]
[illegible] (८०) के
के मृत्यु के बाद जिस पक्ष को [illegible] मिलता है वे [illegible]
[illegible] को सम्पत्ति [illegible] में व्यवहार करेंगे ।
खास दखल में लाकर अपने [illegible] अपने हिस्से की सम्पत्ति को
(८) [illegible] करेंगे व अगर किसी पक्ष
[illegible] दखल करेंगे [illegible] बाबत [illegible]
के हिस्से के [illegible] सम्पत्ति के [illegible]
[illegible] है तो वही पक्ष उसके [illegible] किसी
पाने के हकदार होंगे । अदालत में अगर [illegible]
[illegible] बनिस्बत मुकदमा चल रहा है तो उस
सम्पत्ति के [illegible] फरीक के हिस्से में
[illegible] वह सम्पत्ति जिस [illegible] मुकदमा की
मिला है, वही उसके बाबत [illegible] ।५५।
[illegible] आवश्यक कार्यवाही करेंगे व उस मुकदमा के
मुकदमा की [illegible] के हकदार होंगे ।
[illegible] में जमा [illegible] दावा बाकी नहीं
[illegible] उसमें किसी तरह की [illegible]
रहेगी । (९) जिस पक्ष के हिस्से में जो
सम्पत्ति मिला उसका मूल कागजात [illegible]
[illegible] वगैरह बंटवारा नामा रजिस्ट्री
मुकदमा का कागजात [illegible]
होंगे [illegible] पास जो
[illegible] देंगे, जो सम्पत्ति [illegible]
कागजात हो [illegible]
[illegible] जाता है उसका मूल कागजात [illegible] हिस्सेदार
के पास रहेगा तथा दूसरे हिस्सेदार को उसकी
प्रमाणित प्रतिलिपि दी जायगी (१०) मौजा [illegible]
के ऊपर [illegible] तरफ [illegible]
[illegible] ६४६ व ६४७ [illegible] कुआँ तथा उसमें [illegible]

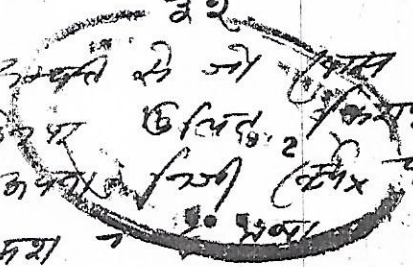

... जमीन जो भी थी- वह प्रथम पक्ष से चतुर्थ पक्ष तक का इजमाल रहा और उसके सभी पक्ष समान रूपों में हकदार रहेंगे। [illegible] से उपरोक्त [illegible] ७.१९६२ [illegible]
(११) मौजा [illegible] ७.६२ [illegible] तारीख [illegible] लिखा [illegible]
१-६६ [illegible] तथा [illegible] इजमाल रहा।
की जमीन पर [illegible] का पेड़ पौधा इजमाल रहा।
[illegible] यह स्मरण रहे कि यदि कोई अपना [illegible]

11 SEP 1972

: २४ :

केस [illegible] गई थी- और
सम्पत्ति उक्त बटवारा में [illegible] के रूप में न तो
जिसका विवरण किसी [illegible] को लेकर चतुर्थ पक्ष तक
[illegible] पर प्रथम पक्ष से लेकर [illegible] जायेगा और उनका
का [illegible] अधिकार माना जायेगा यह बटवारा नामा १ राम प्रसाद
[illegible] होगा। (१३) यह बटवारा नामा [illegible] जरूरत पर कचहरी
प्रसाद के पास रहेगा जिसे [illegible] कचहरी तथा किसी
देख सकेंगे पर कचहरी [illegible] या गैर सरकारी
समय किसी सरकारी महकमा [illegible] आवश्यकता होने पर पेश
महकमा में पेश करने की आवश्यकता होने पर [illegible]
कर सकेंगे। (१४) उपरोक्त शर्त तथा बातें मैं [illegible]
[illegible] बिना किसी दबाव या [illegible] के पूर्ण सहमत
होकर [illegible] पक्षों ने गवाहों के सामने अथवा
अपना हस्ताक्षर या बाएं निशान देकर उक्त बटवारा
पत्र को आज तारीख को सम्पादित किया।

गवाहान का हस्ताक्षर
१. [illegible] प्रसाद साह [illegible] ७.६२
२. [illegible] नायब [illegible] १९-७.६२
३. [illegible] १९-७.६२
आलोक [illegible]
४. [illegible] १९-७.६२
[illegible] १९-७.६२

मालिक का हस्ताक्षर
(१) प्रथम पक्ष
(१) [illegible] देवी-
२. [illegible] देवी-
३. कमला देवी
(२) द्वितीय पक्ष
१. राम प्रसाद साह
२. [illegible] प्रसाद साह

(३) तृतीय पक्ष
१. हरी प्रकाश साद
२. प्रेम प्रकाश साद
३. विनोद प्रकाश साद
अवयस्क गण पिता तथा वली नाबालिगान नाबालिग पुत्र

(४) चतुर्थ पक्ष
(१) सरयू प्रकाश साद
२. ओम प्रकाश साद
३. अजीत कुमार साद
अवयस्क गण पिता तथा वली नाबालिगान जय नाबालिग पुत्र।

6. Kishan chand
Baijn. B.
[illegible]
19-1-72

५. प्रथम पक्ष
राम कुमारी सिंघवाडे का
कुत्ता का हस्ताक्षर

11 SEP 1972

कु० कु० वलियारी
१८-१-६२

(अजीत कुमार वलियारी
द्वारा कोर्ट द्वारा लिखित।
देखकर

पाक्षिक को इस लेख
पढ़ कर सुनाया तथा
उसने व-मान लिया तथा
अपने स्वीकृत पर विभाग
लोग स्वीकृत करके हस्ताक्षर
उस का इकरार किया
तथा हमें निशान किया
कुत्ता का हस्ताक्षर
सहल देखकर १८-१-६२.

गोपी देवी रानीमती देवी कमला देवी. राम प्रकाश साद
मेला प्रकाश साद हरी प्रकाश साद. प्रेम प्रकाश साद
विनोद प्रकाश साद सरयू प्रकाश साद ओम प्रकाश साद
अजीत कुमार साद राम कुमारी सिंघवाडे का कुत्ता का हस्ता०
[illegible]

गौरी देवी - राजमती देवी - कमला देवी - राम प्रताप सिंह
भोला प्रताप सिंह धर्म प्रताप सिंह इन्द्र प्रताप सिंह विनोद
प्रताप सिंह सन्तोष प्रताप सिंह ओम प्रकाश सिंह
अजीत प्रताप सिंह राम दुलारी रुद्रवाडी वा कुमार सिंह।
राम दुलारी रुद्रवाडी वा कुमार सिंह: गौरी देवी, राजमती
देवी - कमला देवी - राम प्रताप सिंह भोला प्रताप सिंह
धर्म प्रताप सिंह इन्द्र प्रताप सिंह विनोद प्रताप सिंह
सन्तोष प्रताप सिंह ओम प्रकाश सिंह अजीत कुमार
सिंह गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम प्रताप
सिंह भोला प्रताप सिंह धर्म प्रताप सिंह इन्द्र
प्रताप सिंह विनोद प्रताप सिंह सन्तोष प्रताप सिंह
ओम प्रकाश सिंह अजीत कुमार सिंह राम
दुलारी रुद्रवाडी वा कुमार सिंह। गौरी देवी
राजमती देवी कमला देवी राम प्रताप सिंह भोला
प्रताप सिंह धर्म प्रताप सिंह इन्द्र प्रताप सिंह विनोद
प्रताप सिंह सन्तोष प्रताप सिंह ओम प्रकाश सिंह
अजीत कुमार सिंह राम दुलारी रुद्रवाडी वा
कुमार सिंह। गौरी देवी राजमती देवी - कमला देवी
राम प्रताप सिंह - भोला प्रताप सिंह धर्म प्रताप सिंह
इन्द्र प्रताप सिंह विनोद प्रताप सिंह सन्तोष प्रताप
सिंह ओम प्रकाश सिंह अजीत कुमार सिंह
राम दुलारी रुद्रवाडी वा कुमार सिंह। गौरी देवी
राजमती देवी - कमला देवी - राम प्रताप सिंह भोला
प्रताप सिंह धर्म प्रताप सिंह इन्द्र प्रताप सिंह
विनोद प्रताप सिंह सन्तोष प्रताप सिंह ओम प्रकाश
सिंह अजीत कुमार सिंह राम दुलारी रुद्रवाडी
वा कुमार सिंह गौरी देवी राजमती देवी कमला
देवी - राम प्रताप सिंह भोला प्रताप सिंह धर्म प्रताप
प्रताप सिंह विनोद प्रताप सिंह सन्तोष

ओम हजारा स्वाहा अजीत कुमार स्वाहा राजकुमारी
सुखवारी वा कुलवन्त सिंह गोरी देवी राजकली देवी.
कमला देवी राम भोग स्वाहा मोला भोग स्वाहा दाल
भोग स्वाहा लड्डू भोग स्वाहा किनारे वा स्वाहा स्वाहा
भोग स्वाहा ओम हजारा स्वाहा अजीत कुमार स्वाहा
राजकुमारी सुखवारी वा कुलवन्त सिंह
गोरी देवी वा राजकली देवी कमला देवी राम भोग
स्वाहा मोला भोग स्वाहा दाल भोग स्वाहा लड्डू भोग
स्वाहा किनारे भोग स्वाहा लड्डू भोग स्वाहा
ओम हजारा स्वाहा अजीत कुमार स्वाहा राजकुमारी
सुखवारी वा कुलवन्त सिंह. गोरी देवी. राजकली
देवी कमला देवी राम भोग स्वाहा मोला भोग
स्वाहा दाल भोग स्वाहा लड्डू भोग स्वाहा किनारे
भोग स्वाहा [illegible] भोग स्वाहा ओम हजारा स्वाहा
अजीत कुमार स्वाहा राजकुमारी सुखवारी वा
कुलवन्त सिंह गोरी देवी राजकली देवी कमला
देवी राम भोग स्वाहा मोला भोग स्वाहा दाल
भोग स्वाहा लड्डू भोग स्वाहा किनारे भोग स्वाहा
भोग स्वाहा ओम हजारा स्वाहा अजीत कुमार
राजकुमारी सुखवारी वा कुलवन्त सिंह.
स्वाहा गोरी देवी कमला देवी राम भोग
राजकली देवी दाल भोग स्वाहा लड्डू
स्वाहा मोला भोग स्वाहा किनारे भोग स्वाहा. लड्डू भोग स्वाहा
भोग स्वाहा.
ओम हजारा स्वाहा अजीत कुमार स्वाहा राजकुमारी
सुखवारी वा कुलवन्त सिंह गोरी देवी राजकली
देवी कमला देवी राम भोग स्वाहा मोला भोग
[illegible] स्वाहा लड्डू भोग स्वाहा किनारे

२६ (मूल)(राम प्रसाद साहू)

गौरी देवी- राजमती देवी- कमला देवी मोला प्रसाद साहू धनी प्रसाद
साहू विनोद प्रसाद साहू साहदेव प्रसाद साहू ओम प्रकाश
साहू अजीत कुमार साहू राम कुमारी सहपाठी व कुसुम सहपाठ
गौरी देवी. राजमती देवी.. कमला देवी- राम प्रसाद साहू मोला
प्रसाद साहू धनी प्रसाद साहू विनोद प्रसाद साहू साहदेव
प्रसाद साहू. ओम प्रकाश साहू- अजीत कुमार साहू
राम कुमारी सहपाठी व कुसुम सहपाठ गौरी देवी. राजमती
देवी- कमला देवी. राम प्रसाद साहू मोला प्रसाद
साहू धनी प्रसाद साहू विनोद प्रसाद साहू साहदेव प्रसाद
साहू. ओम प्रकाश साहू अजीत कुमार साहू
राम कुमारी सहपाठी व कुसुम सहपाठ गौरी देवी राजमती
देवी कमला देवी राम प्रसाद साहू मोला प्रसाद साहू
धनी प्रसाद साहू. विनोद प्रसाद साहू. साहदेव प्रसाद साहू
ओम प्रकाश साहू अजीत कुमार साहू. राम कुमारी
सहपाठी व कुसुम सहपाठ गौरी देवी राजमती देवी.
कमला देवी. मोला प्रसाद साहू. धनी प्रसाद साहू
विनोद प्रसाद साहू साहदेव प्रसाद साहू. ओम
प्रकाश साहू. अजीत कुमार साहू राम कुमारी
सहपाठी व कुसुम सहपाठ गौरी देवी. राजमती
देवी- कमला देवी राम प्रसाद साहू मोला
प्रसाद साहू धनी प्रसाद साहू विनोद
प्रसाद साहू साहदेव प्रसाद साहू ओम प्रकाश
साहू अजीत कुमार साहू राम कुमारी सहपाठी
व कुसुम सहपाठ गौरी देवी राजमती देवी-
कमला देवी. राम प्रसाद साहू मोला प्रसाद साहू
धनी प्रसाद साहू विनोद प्रसाद साहू साहदेव
प्रसाद साहू ओम प्रकाश साहू अजीत कुमार साहू
राम कुमारी सहपाठी व कुसुम सहपाठ गौरी

11 SEP 1978

सोना प्रसाद राय धर्म प्रसाद राय. विनोद प्रसाद
राय संजय प्रसाद राय ओम प्रकाश राय अजीत
कुमार राय. राजकुमारी रविकान्त वा कुमार
गोरी देवी राजमती देवी कमला देवी - राम प्रसाद
राय सोना प्रसाद राय. धर्म प्रसाद राय विनोद
प्रसाद राय ओम प्रकाश राय
प्रसाद राय. संजय
अजीत कुमार राय राजकुमारी रविकान्त वा
गोरी देवी राजमती देवी कमला
कुमार - राम प्रसाद राय सोना प्रसाद राय धर्म प्रसाद
देवी - राम प्रसाद राय संजय प्रसाद राय
राय विनोद प्रसाद राय अजीत कुमार राय राजकुमारी
ओम प्रकाश राय गोरी देवी राजमती
रविकान्त वा कुमार राम प्रसाद राय सोना प्रसाद
देवी - कमला देवी - राम विनोद प्रसाद राय संजय
राय धर्म प्रसाद राय ओम प्रकाश राय. अजीत कुमार
प्रसाद राय राजकुमारी रविकान्त वा कुमार
गोरी देवी राजमती देवी. कमला देवी. राम प्रसाद
राय धर्म प्रसाद राय विनोद
राय. सोना प्रसाद राय प्रसाद राय ओम प्रकाश
प्रसाद राय संजय राजकुमारी रविकान्त
राय अजीत कुमार राय गोरी देवी राजमती देवी
वा कुमार राम प्रसाद राय सोना प्रसाद राय.
कमला देवी विनोद प्रसाद राय. संजय
धर्म प्रसाद राय ओम प्रकाश राय अजीत कुमार
प्रसाद राय राजकुमारी रविकान्त वा कुमार
राय राम ... राम प्रसाद राय

विनोद भाई
मोला भाई साहब दी भाई साहब ओम प्रकाश साहब अजीत
साहब साहब भाई साहब ... कुमारसहाय
कुमार साहब राम दुलारी रुक्मणी व ... कमला देवी राम भाई
गौरी देवी रुक्मणी देवी कमला देवी भाई साहब विनोद
साहब मोला भाई साहब दी भाई साहब ओम प्रकाश साहब
भाई साहब साहब भाई साहब रुक्मणी व कुमार
राम दुलारी रुक्मणी देवी कमला देवी
अजीत कुमार साहब गौरी देवी दी भाई साहब
सहाय मोला भाई साहब
राम भाई साहब साहब भाई साहब ओम
विनोद भाई साहब राम दुलारी
अजीत कुमार साहब रुक्मणी देवी
गौरी देवी
व कुमारसहाय मोला भाई साहब
रुक्मणी भाई साहब साहब भाई
कमला देवी राम विनोद भाई साहब अजीत कुमार साहब
दी भाई साहब ओम प्रकाश साहब गौरी देवी
साहब राम दुलारी रुक्मणी व कुमारसहाय
राम भाई साहब मोला भाई
रुक्मणी देवी कमला देवी विनोद भाई साहब साहब भाई
साहब दी भाई साहब अजीत कुमार साहब राम
ओम प्रकाश साहब कुमारसहाय गौरी देवी
साहब रुक्मणी व राम भाई साहब मोला
दुलारी कमला देवी विनोद भाई साहब साहब
रुक्मणी देवी दी भाई साहब अजीत कुमार साहब
भाई साहब ओम प्रकाश साहब कुमारसहाय गौरी देवी
भाई साहब रुक्मणी व राम भाई साहब
राम दुलारी कमला देवी विनोद भाई साहब

[illegible] सिंह अजीत
फतेह [illegible] सिंह उजीत [illegible] सिंह [illegible] व कुमार सिंह
कुमार सिंह राम कुमारी रैदवाड़ी व कुमार सिंह
गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम [illegible]
सिंह शीला [illegible] सिंह हरी [illegible] सिंह [illegible]
सिंह [illegible] सिंह उजीत [illegible] सिंह
[illegible] सिंह फतेह [illegible] रैदवाड़ी व कुमार
अजीत [illegible] सिंह राम कुमारी देवी कमला देवी
गौरी देवी राजमती
[illegible] सिंह शीला [illegible] सिंह हरी [illegible] सिंह
[illegible] सिंह [illegible] सिंह फतेह [illegible] सिंह

SEP 197[illegible]

[illegible] रैदवाड़ी व कुमार सिंह
सिंह [illegible] देवी कमला देवी राम [illegible]
गौरी देवी राजमती देवी हरी [illegible] सिंह [illegible]
सिंह शीला [illegible] सिंह [illegible] सिंह उजीत
सिंह फतेह [illegible] सिंह राम कुमारी रैदवाड़ी व कुमार सिंह
कुमार सिंह राजमती देवी कमला देवी राम [illegible] सिंह
गौरी देवी [illegible] सिंह [illegible] सिंह
शीला [illegible] सिंह हरी [illegible] सिंह उजीत कुमार सिंह राम
उजीत [illegible] सिंह गौरी देवी
कुमारी रैदवाड़ी व कुमार सिंह
राजमती देवी कमला देवी राम [illegible] सिंह शीला [illegible]
सिंह हरी [illegible] सिंह फतेह [illegible] सिंह [illegible]
सिंह उजीत [illegible] सिंह अजीत कुमार सिंह राम
कुमारी रैदवाड़ी व कुमार सिंह गौरी देवी कमला
देवी राजमती देवी राम [illegible] सिंह शीला [illegible]
सिंह हरी [illegible] सिंह [illegible] सिंह फतेह

(२२) अजीत
[illegible] सिंह [illegible] कुमार सिंह

७७

राम कुमारी रुद्रगावी वा सुशान्त राय गोरी देवी

राजवती देवी कमला देवी राम प्रसाद राय सीता

प्रसाद राय हरी प्रसाद राय विनोद प्रसाद राय

सुरेन्द्र प्रसाद राय ओम प्रकाश राय अजीत

कुमार प्रसाद राय राम कुमारी रुद्रगावी वा सुशान्त राय

सुमार राय राम प्रसाद राय कमला देवी

गोरी देवी राजवती देवी विनोद प्रसाद राय

सीता प्रसाद राय हरी प्रसाद राय अजीत कुमार

सुरेन्द्र प्रसाद राय ओम प्रकाश राय वा सुशान्त राय

राय राम कुमारी रुद्रगावी राम प्रसाद

गोरी देवी राजवती देवी कमला देवी ओम

11 SEP 1972 सीता प्रसाद राय हरी प्रसाद राय सुरेन्द्र प्रसाद

राय [illegible] विनोद प्रसाद राय

प्रसाद राय राम कुमारी रुद्रगावी

राय अजीत कुमार राय गोरी देवी राजवती देवी कमला

वा सुशान्त राय सीता प्रसाद राय [illegible]

देवी राम प्रसाद राय सुरेन्द्र प्रसाद राय ओम

राय विनोद प्रसाद राय राम कुमारी

अजीत कुमार राय

प्रकाश राय गोरी देवी राजवती देवी

रुद्रगावी वा सुशान्त राय सीता प्रसाद राय हरी

प्रसाद राय

कमला देवी राम विनोद प्रसाद राय सुरेन्द्र प्रसाद राय

प्रसाद राय विनोद अजीत कुमार राय राम कुमारी

ओम प्रकाश राय गोरी देवी राजवती देवी

रुद्रगावी वा सुशान्त राय सीता प्रसाद राय

कमला देवी राम प्रसाद राय

विनोद प्रसाद राय सुरेन्द्र प्रसाद

राम दुलारी रुद्रवाड़ी व कुल्ल सिंह गौरी देवी
राजमती देवी कमला देवी राम आदित्य राय मोला
आदित्य राय धीं आदित्य राय विनोद आदित्य राय राजपू
आदित्य राय ओम प्रकाश राय अजीत कुमार राय
आदित्य राय [illegible] गौरी देवी
राम दुलारी रुद्रवाड़ी व कुल्ल सिंह राम आदित्य राय मोला
राजमती देवी कमला देवी राम आदित्य राय राजपू
आदित्य राय धी आदित्य राय विनोद आदित्य राय
आदित्य राय ओम आदित्य राय अजीत कुमार राय
आदित्य राय गौरी देवी
राम दुलारी रुद्रवाड़ी व कुल्ल सिंह राम आदित्य राय मोला
राजमती देवी कमला देवी
आदित्य राय धी आदित्य राय विनोद आदित्य राय राजपू
आदित्य राय ओम प्रकाश राय अजीत कुमार राय
राम दुलारी रुद्रवाड़ी व कुल्ल सिंह गौरी देवी
राजमती देवी कमला देवी राम आदित्य राय मोला
आदित्य राय धी आदित्य राय विनोद आदित्य राय राजपू
आदित्य राय ओम प्रकाश राय अजीत कुमार राय
राम दुलारी रुद्रवाड़ी व कुल्ल सिंह गौरी देवी कमला
देवी राजमती देवी राम आदित्य राय मोला आदित्य राय
धी आदित्य राय विनोद आदित्य राय राजपू आदित्य
राय ओम प्रकाश राय अजीत कुमार राय राम
दुलारी रुद्रवाड़ी व कुल्ल सिंह गौरी देवी राजमती
देवी कमला देवी राम आदित्य राय मोला
धी आदित्य राय विनोद आदित्य राय
आदित्य राय ओम प्रकाश राय अजीत कुमार राय

11 SEP 19[illegible]
[illegible] निबंधक [illegible]

गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम प्रसाद लाल भोला प्रसाद लाल हरी प्रसाद लाल प्रभु प्रसाद लाल विनोद प्रसाद लाल रघु प्रसाद लाल ओम प्रकाश लाल अजीत कुमार लाल व राम दुलारी लड़काइन का कुबाला कलमन लहाय गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम प्रसाद लाल भोला प्रसाद लाल हरी प्रसाद लाल प्रभु प्रसाद लाल विनोद प्रसाद लाल रघु प्रसाद लाल ओम प्रकाश लाल अजीत कुमार लाल व रामदुलारी लड़काइन का कुबाला कलमन लहाय गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम प्रसाद लाल भोला प्रसाद लाल हरी प्रसाद लाल प्रभु प्रसाद लाल विनोद प्रसाद लाल रघु प्रसाद लाल ओम प्रकाश लाल अजीत कुमार लाल व रामदुलारी लड़काइन का कुबाला कलमन लहाय —

गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम प्रसाद लाल भोला प्रसाद लाल हरी प्रसाद लाल प्रभु प्रसाद लाल विनोद प्रसाद लाल रघु प्रसाद लाल ओम प्रकाश लाल अजीत कुमार लाल व रामदुलारी लड़काइन का कुबाला कलमन लहाय —

11 SEP 1972
देवघर

गौरी देवी राजमती देवी कमला देवी राम प्रसाद लाल भोला प्रसाद लाल हरी प्रसाद लाल प्रभु प्रसाद लाल विनोद प्रसाद लाल रघु प्रसाद लाल ओम प्रकाश लाल अजीत कुमार लाल व राम दुलारी लड़काइन का कुबाला कलमन लहाय

निबंधक देवघर

৪৫.

(22)

~~(আপিরামুল্লাহ দিগর(22) ১৯৬৩ সালে) দ্বাদশ ও গুরুত্বপূর্ণ~~

(স্বাক্ষর) নং. 276 Sold to S. Ramprasad Saha of. Dacca. For partition deed by following denomination N.S. Stamps

11 SEP 1972

7-C Rs 500/-	=	Rs	3500/-
1 C Rs 200/-	=	Rs	200/-
1 C Rs 150/-	=	Rs	150/-
1 C Rs 20/-	=	Rs	20/-
1 C Rs 2/-	=	Rs	2/-
1-C B. 50 P.	-	Rs.	0/-50

Total Rs - 3872/50

Rupees three thousand eight hundred seventy two and paise. fifty only. [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B. along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B. along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B. along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B. along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury S.B. along nos. 276 [illegible] 10-12-1971 Stamp clerk Dacca Sub Treasury

[illegible]

[illegible] 26/1 [illegible] 10-12-1971 [illegible]

[illegible] 276 [illegible]

10-12-1971 [illegible]

[illegible] 10-12-1971 [illegible]

[illegible]

11 SEP 1972

5001-
5001-
[illegible]
200/
150/
20/
[illegible]

[illegible] 14-50

... २१ के अधीन पाद्यः स० प्र० रेखा
... अधिनियम के नियम ... के अधीन
या पाद्यः तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम
१८९९ की अनुसूची १या १क सं० [illegible]
के अधीन प्रभावित स्टाम्प सहित शुल्क ...
... या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं।

[illegible]

[illegible]

[illegible] 62

[illegible] - 62

[illegible]

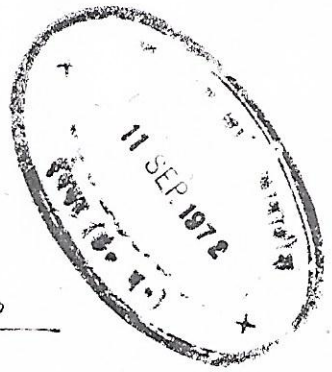

राम प्र. सिंह ..... पिता ..... [illegible] राम
निवास स्थान [illegible] ..... जाति [illegible] पेशा व्यवसाय
ने लेख्यकारी, दावेदार या अवर निबंधक
.... द्वारा प्रमाणीकृत मुख्तारनामा ....
संख्या .... १९ ..... के अधीन लेख्यकारियों
.... के
या दावेदारों में से एक और
.... १९६२ के
अभिकर्त्ता है ने तारीख ..... [illegible] ..... अवर निबंधन
(या अपराह्न) में [illegible] ..... अवर निबंधन
कार्यालय में (..... ..... स्थान पर) निबंधन
..... पेश किया।

राम प्रताप सिंह [illegible] ९.६२

..... का हस्ताक्षर

[illegible] राम प्र. सिंह

..... पर निबंधक का हस्ताक्षर

11 SEP 1972

[illegible] ②
[illegible] राम प्रताप सिंह तथा ③ श्री प्रताप सिंह
[illegible] प्रताप सिंह तथा
[illegible] ④ श्री मुकुल प्रताप सिंह तथा
[illegible] ⑤ श्री सरयु प्रताप
[illegible] विनोद प्रताप सिंह तथा ⑥ श्री ओम प्रकाश सिंह
[illegible] ⑥ [illegible] ने [illegible]
[illegible] अशोक कुमार सिंह [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] [illegible]

[illegible] अवयस्कों ने [illegible] —

१२ [illegible] ८९६२ राम प्रताप सिंह [illegible] ९.६२
१२ [illegible] ८९६२ [illegible] प्रताप सिंह [illegible] ९.६२
१२ [illegible] ८९६२ [illegible] प्रताप सिंह [illegible] ९.६२
[illegible] प्रताप सिंह [illegible] ९.६२
[illegible] ८९६२ मुकुल प्रताप सिंह [illegible] ९.६२
[illegible] ८९६२ विनोद प्रताप सिंह [illegible] ९.६२
[illegible] ८९६२ सरयु प्रताप सिंह

১২/৯/১৯৭২ [illegible] গৌরী দেবী ১৮-৯-৭২

১২/৯/১৯৭২ [illegible] কুমারী দেবী ১৮-৯-৭২

২০/৯/১৯৭২ — [illegible] দেবী ১৮-৯-৭২

রতন কুমার [illegible] ১৮-৯-৭২

11 SEP 1972

Having visited the residence of Sri Matya Gouri Devi w/o. Shiva prasad Sah. and Shri mati Raj mani w/o. Shiva prasad Sah. and Shri mati Kamala Devi D/o late Shiva prasad Sah and Shri. mati Ram Dulari Sahakain widow of Ganpat Ram. of and P.S. Deoghar. by profession Land Ladies. at Ow mina Bazar. Deoghar. [illegible] this day examined the said Shree Matya. Gouri Devi, Shri mati Raj mani Devi, Shri mati Kamala Devi Shri mati Ram Dulari Sahakain who have been identified to my satisfaction by Shree Sarda nand Sah S/o. Late Ram Jiban Sah. of the Same place. by profession. business and the said Shri mati Gouri Devi Shri mati Raj mani Devi Shri mati Kamala and Shri mati Ram Dulari Sahakain admitted the execution of the document the Ladies executants have been taken & there identified behind pardah.

[illegible] ০ রাজমনি দেবী

कमला देवी -

राम दुलारी रहमतउल्ला का बयान पढ़ स्वीकार
१४-९-62

राम दुलारी
बयान पढ़ स्वीकार १४-९-62

इस पत्रिका का मजमून पढ़ के १. कमला देवी
२. राजमती देवी ③ कमला देवी ④ राम दुलारी
रहमतउल्ला को पढ़ कर सुना और समझा दिया
इन लोगों ने अपना स्वीकार किया अन्दर
इन लोगों कार्य किया ... को जानता और
लिया गया ने स्वीकार
बयान लिया हूँ बयान पढ़ स्वीकार
१४-९-62

कुमार ... १४-९-62

11 SEP 1972

... किया

... २२-९-62

... २२-९-62

Pages 1 to 48 with four cuttings
only three additions and seventeen corrections
R.O. ...
22.9.62